



Indian Personnel Export Promotion Council

(Certificate of Incorporation No. 21368 of 1979. The Registrar of Companies, Maharashtra)
CIN No. : U74910MH1979NPL021368

Regd. Office : Office No. 1001, 10th Floor, Navjivan Commercial Premises Co-op. Society Ltd.,
Lamington Road, (Dr. D.B. Marg), Mumbai Central, Mumbai - 400 008. India
Telefax : (91-22) 4004 4501 • E-mail : admin@ipepcil.org • www.ipepcil.org

भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका

भारत लंबे समय से वैश्विक कार्यबल में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। दुनिया भर में लाखों कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल पेशेवर कार्यरत हैं। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, एमईए-ओई डिवीजन, प्रवासियों के संरक्षक जनरल और उनके संबंधित पीओई कार्यालयों द्वारा उनकी अनुमोदित भर्ती एजेंसियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार में भारतीय मानव संसाधनों की पैठ, देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, इन भर्ती एजेंसियों की अक्सर सराहना नहीं की जाती है, श्री वी.एस. अब्दुलकरीम, अध्यक्ष, भारतीय कार्मिक निर्यात संवर्धन परिषद (आईपेपसिल) कहते हैं।

विदेशी रोजगार का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: विदेशी मुद्रा प्रवाह और आर्थिक स्थिरता: विदेशी रोजगार का सबसे प्रत्यक्ष लाभ देश में पर्याप्त प्रेषण प्रवाह है। प्रवासी कार्यबल सालाना अरबों डॉलर भेजता है, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में

Member:





Indian Personnel Export Promotion Council

(Certificate of Incorporation No. 21368 of 1979. The Registrar of Companies, Maharashtra)
CIN No. : U74910MH1979NPL021368

Regd. Office : Office No. 1001, 10th Floor, Navjivan Commercial Premises Co-op. Society Ltd.,
Lamington Road, (Dr. D.B. Marg), Mumbai Central, Mumbai - 400 008. India
Telefax : (91-22) 4004 4501 • E-mail : admin@ipepcil.org • www.ipepcil.org

महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये प्रेषण अनुकूल भुगतान संतुलन बनाए रखने और व्यापार घाटे को कम करने, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। आजीविका का समर्थन करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए, भारत में प्रत्येक नियोजित प्रवासी औसतन छह आश्रितों का समर्थन करता है। इन विदेशी नियोजित श्रमिकों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता उनके परिवारों के लिए जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा को वित्तपोषित करने और स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, विदेशी रोजगार के अवसर घरेलू बेरोजगारी के दबाव को कम करने में मदद करते हैं, विशेष रूप से अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए जो भारत में उपयुक्त नौकरी खोजने के लिए संघर्ष कर सकते हैं।

तकनीकी और कौशल उन्नति: लौटने वाले प्रवासी विदेशों में उन्नत मशीनरी और उद्योग-सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ काम करने से प्राप्त मूल्यवान तकनीकी ज्ञान और अनुभव लेकर आते हैं। यह ज्ञान हस्तांतरण पूरे भारत में विभिन्न उद्योगों में बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण प्रगति, कौशल उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Member:



विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती एजेंसियों की भूमिका: कानूनी, सुरक्षित और नैतिक विदेशी रोजगार सुनिश्चित करना। एमईए-ओई द्वारा अनुमोदित भर्ती एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि भारतीय श्रमिकों को कानूनी और सुरक्षित चैनलों के माध्यम से विदेशी नौकरियां मिलें। ये एजेंसियां सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करती हैं, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करती हैं और नौकरी चाहने वालों को धोखाधड़ी वाली भर्तियों से बचाती हैं।

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा: अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से भर्ती किए गए श्रमिकों के पास कानूनी सुरक्षा का एक सुरक्षा जाल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उनके अनुबंध, वेतन और काम करने की स्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों। यह शोषण और मानव तस्करी को रोकता है जो अपंजीकृत विदेशी रोजगार में एक आम चिंता का विषय है। नीति निर्माण के लिए प्रामाणिक डेटा बनाए रखना, विदेश मंत्रालय-ओई विभाग विदेशी रोजगार रुझानों का एक मजबूत डेटाबेस रखता है जो सरकार को नीति निर्माण में मदद करता है। यह डेटा संचालित दृष्टिकोण बेहतर कार्यबल योजना, राजनयिक वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय श्रम समझौतों के संबंध में रणनीतिक निर्णय लेने की अनुमति देता है।

मान्यता की कमी और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता: इन महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद, MEA-OE अनुमोदित भर्ती एजेंसियों को वह मान्यता और सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, भले ही वे भारत के वैश्विक कार्यबल प्रवासन आंदोलनों की रीढ़ के रूप में काम करते हैं। एमईए-ओई द्वारा अनुमोदित भर्ती एजेंसियों के खिलाफ निष्पक्ष और पारदर्शी शिकायत समाधान की आवश्यकता: जबकि विदेशी रोजगार से संबंधित शिकायतों का समाधान करना आवश्यक है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि शिकायत समाधान प्रक्रिया के दौरान एमईए-ओई द्वारा अनुमोदित भर्ती एजेंसियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। नियामक निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतें वास्तविक हैं और किसी भी कारण बताओ नोटिस और संबंधित कार्रवाई करने से पहले प्रामाणिकता और वैधता के लिए पूरी तरह से जांच की जाती है, जो एजेंसियों के संचालन और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। यदि शिकायतकर्ता जवाब देने या सुनवाई में भाग लेने में विफल रहता है तो उचित अधिसूचना के बाद तुच्छ या आधारहीन शिकायतों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। अनसुलझे या असत्यापित शिकायतों को ऑनलाइन रिकॉर्ड में अनिश्चित काल तक रखने से किसी एजेंसी के पंजीकरण

प्रमाणपत्र नवीनीकरण और अन्य नियामक सेवाओं तक पहुंच में गलत तरीके से बाधा आ सकती है। एक संतुलित दृष्टिकोण जो प्रवासियों और नैतिक भर्ती एजेंसियों दोनों की रक्षा करता है, एक निष्पक्ष और पारदर्शी विदेशी रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार और सार्वजनिक समर्थन की आवश्यकता: जागरूकता और स्वीकृति, सरकार को नीति स्वीकृतियों और सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से अनुमोदित भर्ती एजेंसियों के योगदान को पहचानना और बढ़ावा देना चाहिए। नैतिक भर्ती प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन; कानूनी और नैतिक भर्ती के उच्चतम मानकों को बनाए रखने वाली एजेंसियों को प्रोत्साहन या प्रमाणपत्र प्रदान किए जा सकते हैं।

अपंजीकृत भर्तीकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई: भारतीय नौकरी चाहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अनधिकृत भर्ती करने वालों के खिलाफ कड़े उपाय लागू किए जाने चाहिए जो श्रमिकों का शोषण करते हैं और एमईए-ओई अनुमोदित एजेंसियों की छवि और विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को खराब करते हैं।

भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और कौशल विकास में एमईए-ओई अनुमोदित भर्ती एजेंसियों की भूमिका निर्विवाद है।



Indian Personnel Export Promotion Council

(Certificate of Incorporation No. 21368 of 1979. The Registrar of Companies, Maharashtra)
CIN No. : U74910MH1979NPL021368

Regd. Office : Office No. 1001, 10th Floor, Navjivan Commercial Premises Co-op. Society Ltd.,
Lamington Road, (Dr. D.B. Marg), Mumbai Central, Mumbai - 400 008. India
Telefax : (91-22) 4004 4501 • E-mail : admin@ipepcil.org • www.ipepcil.org

उनके प्रयास न केवल व्यक्तियों को बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में मदद करते हैं बल्कि राष्ट्रीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बेहतर नीतियों, प्रोत्साहनों, प्रमाणपत्रों और सार्वजनिक स्वीकृति के माध्यम से इस क्षेत्र को पहचानने और समर्थन करने से एक अधिक संरचित और नैतिक विदेशी रोजगार ढांचा सुनिश्चित होगा, जिससे श्रमिकों और पूरे देश दोनों को लाभ होगा। अब समय आ गया है कि सरकार और जनता इन एजेंसियों को वह सम्मान और मान्यता दे जिसके वे हकदार हैं, श्री वी.एस. अब्दुलकरीम, अध्यक्ष, आईपेपसिल ने जोर दिया।

Member:

